न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/119 दायरा दिनांक : 21.07.2023

उनवान

1– गुलाब कंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी सांगरिया, हाल निवासी पिपलोनकलां, तहसील आगर, जिला आगर (म.प्र.)
2– उम्मेद कुंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी सुरे सिंह, जाति राजपूत, निवासी सांगरिया, हाल निवासी झुमकी, तहसील माकडोन, जिला उज्जैन (म.प्र.)

.... अपीलांट

बनाम

1– मेहरबान सिंह पि. जुझार सिंह, जाति राजपूत, निवासी धतूरियाकलां, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज.)
2– जुझार सिंह पि. सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी धतूरियाकलां, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज.)
3– रशालकुंवार पि. मेहरबान सिंह, जाति राजपूत, निवासी धतूरियाकलां, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज.)
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रामबाबू माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 21.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 68/2022/प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 24.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया, तहसील सुनेल में खाता सं. 107 का खसरा नं. 1542/827 रकबा 0.1770 हेक्टर, खसरा नं. 826 रकबा 0.4553 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6323 हेक्टर आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने आदेश दिनांक 24.01.2023 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मनमाना, केप्रिशियस व परवर्स होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण या अन्य किसी के नाम तस्दीक नहीं किये जाने के अनुतोष को भी गलत तौर से नहीं मानकर कानूनी भूल की है, जबकि वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था।

अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने पक्ष में खुलाकर आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गये तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है, लेकिन इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त होने योग्य है।

अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 3 उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज कराकर या जबरन कब्जा करने में सफल हो गये और आराजी को विक्रय कर दिया तो पक्षकारान में अधिक मुकदमेंबाजी बढ़ेगी व तबाही होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से वसीयत को सही मानते हुए आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर न्यायहित में निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व ताफैसला वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में आदेश जारी फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की भाभी कैलाशबाई थी। रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी पर फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है। जबकि वसीयत अभी सिद्ध नहीं हुई है। अतः रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मृतका कैलाश बाई के पति की सगी बहने होने के आधार पर दावा पेश किया है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा वसीयत पेश की गई है। मृतक कैलाश बाई की वसीयत नोटेरीशुदा है, जिस पर दो गवाहों सत्तूसिंह व रघुवीर सिंह के हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त दो गवाहों के शपथ पत्र भी सलंग्न है, जो वसीयत के विरोध में बयान हैं। हमारी राय में प्रस्तुत प्रकरण में वसीयत नोटेरीशुदा है जिसको सिद्ध किये जाने के पश्चात ही वसीयतगृहिता के पक्ष में नामान्तरकरण खुल सकता है। वसीयत के दोनों गवाहों के द्वारा वसीयत के विरोध में शपथ पत्र दिये गये हैं। अतः हमारी राय में प्रस्तुत प्रकरण में जब तक वसीयत की सत्यता सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक विवादित आराजी पर यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का निस्तारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार होगा अथवा वसीयत के अनुसार यह मूल वाद में तय होगा। प्रस्तुत प्रकरण में यदि मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति कायम नहीं रखी गयी तो वाद बाहुल्य बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिनुसार नहीं होने से अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2024 अपास्त किया जाता है तथा ताफैसला वाद रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा